Letter No. 4 / गृ०(का०)का०सु०–05 / 2014 803 /Jail
Jharkhand Goverment

Jail Inspectorate

Home, Jail and Disaster Management Department.
Phone : 0651-2400790 fax- 0651-2400745
e-mail- jharkhandprisons@gmail.com

To,

Sri K.K. Meena,
Junior Analyst (CA)
Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India,
Block No. 11, 3rd / 4th Floor, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi- 110003.
Email- jranalyst.bprd@nic.in

Ranchi, dated 28 February, 2017.

Subject : Laws/ Rules / Guidelines on Parole/ Furlough/ Premature Release-reg..

Reference: Your office letter no. 40/16/2015-Prisons/BPRD dated 20.02.2017.

With reference to your office letter no. 40/16/2015-Prisons/BPRD dated 20.02.2017 regarding the above noted subject, it is informed that Laws/ Rules / Guidelines on Parole and Premature Release of Jharkhand State Prisons are annexed for your kind perusal.

Enclosure- As above. (13) pages.

28/02/17.

(Suman Gupta)
I.G. Prisons,
Jharkhand, Ranchi.

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग

संकल्प

राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 ई०।

विषय – आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों को समय पूर्व कारा मुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा–निदेश में संशोधन के संबंध में

आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्व कारा मुक्ति के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा–432 के अधीन राज्य सरकार को अधिकार प्रदत्त है। इस आलोक में गृह विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या--2307, दिनांक 26.05.2011 में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों को समय पूर्व कारा मुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा–निदेश दिये गये हैं।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या–490–491/2011 – संगीत एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार में दिनांक 20.11.2012 को पारित न्यायादेश में दिये गये निर्णय तथा उक्त निर्णय के आलोक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक–वी० 17013/2/2013–वी०आर०, दिनांक 01.02.2013 में निदेश दिया गया है कि :-

(i) "The grant of remission is statutory. However to prevent its arbitrary exercise, the legislature has built in some procedural and substantive checks in the statute. These need to be faithfully enforced.

(ii) Remission can be granted under section 432 of the Cr.P.C. in the case of a definite term of sentence. The power under this section is available only for granting "additional" remission, i.e. for a period over and above the remission granted or warded to a convict under the Jail Manual or other statutory rules. If the term of sentence is indefinite (as in life imprisonment), the power under section 432 of the Cr.P.C. can certainly be exercised but not on the basis that life imprisonment is an arbitrary or notional figure to twenty years of imprisonment.

(iii) Before actually exercising the power of remission under section 432 of the Cr.P.C., the appropriate Government must obtain the opinion (with reasons) of the presiding Judge of the convicting or confirming Court. Remission can, therefore, be given only on a case by case basis and not in a wholesale manner."

3. इस संबंध में महाधिवक्ता, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें यह परामर्श दिया गया है कि सजा देने वाले पीठासीन न्यायाधीश या सजा सम्पुष्ट करने वाले न्यायालय की सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण पश्चात् उनके उत्तराधिकारी न्यायालय द्वारा सकारण मंतव्य प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय निर्णय तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निदेश के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 (क) के प्रावधानों के तहत् आच्छादित बंदियों को असमय कारा विमुक्ति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या--2307 दिनांक 26.05.2011 में उक्त बंदियों के असमय कारा विमुक्ति के संबंध में अपनायी जाने वाल

प्रक्रिया एवं दिशा–निदेश की कंडिका क्रमांक–(i) के आगे (i) (क) के रूप में निम्न प्रकार समावेश किया जाता है :–

"(i) (क) राज्य सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 में प्रदत्त परिहार के शक्तियों को प्रयुक्त करने से पूर्व प्रकरणाधीन वाद में सजा देने वाले पीठासीन न्यायाधीश या सजा स्पष्ट करने वाले न्यायालय या उनके सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण के पश्चात् उत्तराधिकारी पीठासीन न्यायाधीश से सकारण मंतव्य, अनिवार्य रूप से संबंधित कारा अधीक्षक प्राप्त कर राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करेंगे। परिहार की अनुशंसा प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद् के द्वारा की जायेगी। तत्पश्चात् अनुशंसा पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा"

5. इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। यह व्यवस्था आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17.10.13

(जे०बी० तुबिद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 11/कार विविध–25/2005 – 5737 /राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 ई०।
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.10.13

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 11/कार विविध–25/2005 – 5737 /राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 ई०।
प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.10.13

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 11/कार विविध–25/2005 – 5737 /राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 ई०।
प्रतिलिपि – सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.10.13

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 11/कार विविध–25/2005 – 5737 /राँची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 ई०।
प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/मुख्य सचिव के सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, गृह विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/सभी जिला पुलिस अधीक्षक (बरीय पुलिस अधीक्षक सहित) झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.10.13

सरकार के प्रधान सचिव।